नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुए
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 42/08 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल।

–प्रार्थी

: ब ना म :

सुगनाराम पुत्र अगरदास स्वामी साकिन 11 बीएलडी तहसील पूगल

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. श्री विभागीय प्रतितिनिधि – प्रार्थी हाजिर।
2. श्री गिरधारी लाल रामावत अधिवक्ता– अप्रार्थी हाजिर नही।।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 11.03.2020

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उपनिवेशन तहसीलदार पूगल ने यह प्रकरण दिनांक 10.07.96 को आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी को भूमि चक 11बीएलडी के मु.नं. 153/59 के किला नं. 8 ता 12, 19, 20 एवं 21 में कुल 8 बीघा 11बिस्वा भूमि अनकमाण्ड भूमि स्माल पेच के रूप में आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त (इगानप क्षेत्र) बीकानेर के आदेश दिनांक 13.06.88 द्वारा आवंटित की गयी। आवंटन के बाद अप्रार्थी को भूमि का कब्जा दे दिया तथा नामान्तरणकरण भी स्वीकृत कर दिया तथा भूमि की कीमत भी जमा करा दी। आयुक्त उपनिवेशन ने धारा 22(3) के तहत आवंटन निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी दायर की जिसमें माननीय मंडल द्वारा दिनांक 05.07.06 को निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त उपनिवेशन के निर्णय दिनांक 15.09.98 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः आयुक्त उपनिवेशन को रिमाण्ड कर दिया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। दौरान ए बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नही आये।

3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की ईकतरफा बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियमो के विपरित था। आवंटन के समय भू–खण्ड बड़ा था जो स्माल पेच की परिभाषा में नहीं आता था। वादगत भूमि राजस्थान पत्र दिनांक 24.11.88 भाग ख में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित थी जो स्माल पेच में आवंटित नहीं की जा सकती थी। इसी आधार पर आयुक्त उपनिवेशन महोदय ने दिनांक 15.09.98 को मु.सं. 97/96 के द्वारा आवंटन खारिज किया गया। माननीय राजस्व मण्डल ने आयुक्त महोदय उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15.09.98 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया है। उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा उक्त प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए दिनाक 19.02.16 को श्रीमती मंजुरा पत्नि श्यामु खां एवं श्यामु खां पुत्र मो. यार को रकबाराज मानते हुए मीडियम पेच में आवंटन कर दिया जिसकी कियान्विति श्रीमानजी के आदेश दिनाक 04.04.16 से स्थगित की गयी। माननीय न्यायालय जैसा आदेश दे पालना की जावेगी।

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15.09.98 से पूर्णतया सहमत है। राजस्थान राजपत्र में विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन विशेष आवंटन के रूप में ही आवंटन किया जा सकता है। गजट में आरक्षित भूमि का आवंटन सामान्य आवंटन अथवा स्माल पेच में नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिसूचित भूमि राजपत्र के जरिये अअधिसूचित नहीं हो जाती। अतः आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.98 यथावत रखा जाता है। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, पूगल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट कमाक 1593 दिनांक 07.04.16 के अनुसार तहसीलदार, पूगल की रिपोर्ट की भूमि अन्य को आवंटन नहीं होने विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित होने एवं स्थगन आदि नहीं होने के कारण पात्रता अनुसार प्रार्थिया मंजूरा पत्नि श्यामू खां , श्यामु खां पुत्र मो. यार जाति मुसलमान साकिन रसूलसर के नाम विशेष आवंटन में आवंटन किया गया। प्रकरण के विवादित रहते हुए आवंटन किया गया है। प्रकरण विचाराधीन रहते उक्त विवादित भूमि आवंटन की कार्यवाही आवंटन अधिकारी द्वारा जिस आधार पर की गयी है, वह संतोषजनक नही है। अतः प्रकरण में हम राजस्थान उपनिवेशन(इगानप परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम,1975 के अन्तर्गत पुनः जांच करना उचित समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र की प्रति मय अनुलग्नको के तहसीलदार, पूगल को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमो के परिपेक्ष्य में प्रकरण की विस्तृत जांच करे। प्रकरण अगर राजस्थान उपनिवेशन(इगानप परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम,1975 के अन्तर्गत विधि विरूद्ध आवंटन का बनता है तो एक माह में प्रमाणित दस्तावेजो के साथ आवश्यक रूप से पुनः प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, पूगल को भिजवाई जावे।

7. आदेश आज दिनांक **11.03.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर